राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2454/2025

चतुर्भुज गुर्जर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
3. उप वन संरक्षक, बून्दी।
4. सहायक वन संरक्षक, बून्दी।
5. क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैशोरायपाटन, बून्दी।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.04.2025
आदेश की दिनांक : 22.04.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री आनंद भारद्वाज, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी वर्तमान में टेक्नीशियन तृतीय के पद पर रेंज के. पाटन, बूंदी में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 30.03.1992 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को बेलदार/कुली/कैटलगार्ड के रूप में नाका मंगली में नियुक्त किया गया था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.09.2018 के द्वारा अपीलार्थी का के. पाटन, बूंदी में स्थानान्तरण कर दिया गया, तब से अपीलार्थी वहीं पर कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 26.03.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापित स्थान से कार्यालय उप वन संरक्षक जिला बूंदी में 85 कि.मी. दूर स्थानान्तरण कर दिया गया। अपीलार्थी पिछले 10 वर्षो से के. पाटन, बून्दी में कार्य कर रहा है। अपीलार्थी का आगे कथन है कि अपीलार्थी हृदय रोग एवं रक्तचाप जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित है। जिसका निरन्तर ईलाज चल रहा है, जिसके कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अपीलार्थी वर्ष 2027 में सेवानिवृत्त

होने वाला है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 26.03.2025 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को टेक्नीशियन तृतीय के पद पर रेंज के. पाटन, बूंदी में कार्य करने दिया जावे एवं वेतन भत्ते सहित समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
5. अतः अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)